

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 318] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 22, 1975/श्रावण 31, 1897

No. 318] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 22, 1975/SRAVANA 31, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF ENERGY

(Department of Coal)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd August 1975

S.O. 442(E).—In pursuance of clause 4 of the Colliery Control Order, 1945, as continued in force by section 16 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Department of Coal) No. S.O. 408(E) dated the 1st August, 1975, namely:—

In the said notification, in the notes occurring after Table IV—

(a) for paragraph 1 the following paragraph shall be substituted, namely:—

“The Useful Heat Value shall be calculated as follows:—

Firstly, the gross calorific value is determined in accordance with the undermentioned formulae, namely:—

(i) in the case of Low Moisture coals

$1.8Q = 165 F + 136 (V - 0.1A) - 108M$; and

(ii) in the case of High Moisture coals

$1.8Q = 154 [100 - (1.1A + M)] - 108 M$

(1905)

Where Q = Gross Calorific Value in Kilocalories per Kilogram

F = Fixed carbon percentage

V = Volatile matter percentage

A = Ash percentage

M = Moisture percentage

F, V, A and M above shall be determined in accordance with the relevant clauses of Indian Standards Specification No. I—S: 1350—1959 and be calculated after equilibrating at 60% relative humidity and 40°C temperature vide clause 11.3 of the same Indian Standards Specification.

The gross calorific value determined in terms of (i) or (ii) above shall then be reduced as indicated in the Table below for different percentages of ash, to arrive at the Useful Heat Value.

Table showing deduction to be made from the gross calorific value for different percentages of ash

Ash%	Deduction in Kilocalories per Kilo- gram	Ash %	Deduction in Kilocalories per Kilo- gram	Ash%	Deduction in Kilocalories per Kilo. gram
2	20	21	540	40	1370
3	40	22	600	41	1400
4	50	23	660	42	1440
5	65	24	720	43	1470
6	80	25	790	44	1500
7	90	26	860	45	1540
8	105	27	930	46	1575
9	120	28	960	47	1610
10	145	29	990	48	1650
11	170	30	1030	49	1680
12	200	31	1060	50	171
13	220	32	1090		
14	240	33	1130		
15	260	34	1165		
16	300	35	1200		
17	340	36	1240		
18	380	37	1270		
19	430	38	1300		
20	480	39	1340		

(b) in paragraph 2,—

(i) for the expression "F.O.R. prices" the expression "F.O.R. Colliery Siding prices" shall be substituted;

(ii) for the word "exist", the words "exist or are entered into" shall be substituted;

(c) in paragraph 3 for the words "excise duty", the words "duties of excise" shall be substituted;

(d) in paragraph 4,—

(i) for the words "excise duty", in both the places where they occur, the words "duties of excise" shall be substituted;

(ii) for the words and figures "after the first August, 1975" the words and figures "on or from the first August, 1975" shall be substituted;

(e) after paragraph 4 the following paragraphs shall be inserted, namely:—

"5. For the removal of doubts it is hereby declared that for the purpose of the fixation of prices of various grades of coal referred to in this notification, the grades into which the coals are categorised in this notification alone shall be taken into account.

6. The prices as notified by this notification shall not apply to coal and coke sold for export.
7. The prices of coal as notified by this notification shall be applicable to bituminous coals and sub-bituminous coals as defined in Indian Standards Specification No. IS : 770-1964, but not to anthracitic and lignitic coals.
8. For undertaking special sizing or beneficiation of coal, additional charges as may be negotiated between the purchaser and the producer may be realised over and above the notified prices.
9. "High Moisture Coals" are coals whose moisture content determined under Clause 6.7 of Indian Standards Specification No. IS : 1350-1959, exceeds 2 per cent. All other coals are "Low Moisture Coals".
10. The prices notified in Table III for Hard Coke shall not apply to small sized coke or coke breeze below 12 millimetre size".

[No. 28012/18/74-CDT]

S. B. LAL, Jt. Secy.

ऊर्जा मंत्रालय

(कोयला विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 1975

का० आ० 442 (अ).—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 16 द्वारा प्रचलन में आए कोयला खान नियंत्रण आदेश, 1945 की धारा 4 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत सरकार, ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) की 1 अगस्त, 1975 की अधिसूचना संख्या का० आ० 408(अ) में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन किया जाता है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में सारणी-4 के बाद की टिप्पणियों में—

(क) पैरे 1 के लिए निम्नलिखित पैरा रखा जायगा, अर्थात् :—

“उपयोगी ऊष्मामान का इस प्रकार आकलन किया जाएगा :—

प्रथम, निम्नलिखित सूत्र के अनुसार सकल कैलोरीमान निश्चित किया जाता है, अर्थात् :—

(i) कम गीले कोयले के मामले में

1.8 क्यू-165 एफ+136 (बी-0.1ए)—108 एम तथा

(ii) अधिक गीले कोयले के मामले में

1.8 क्यू-154 (100- (1.1 ए+एम))—108 एम

जहाँ क्यू-सकल ऊष्मामान किलोकैलोरीज में प्रति किलोग्राम

एफ-नियत कार्बन प्रतिशतता

बी-वाष्पशील तत्वों की प्रतिशतता

ए-राख प्रतिशतता

एम-नमी प्रतिशतता

उपर्युक्त एफ, बी, ए तथा एम का निर्धारण भारतीय मानक विशिष्ट संख्या भा० या० 1350—1959 की सम्बन्धित धाराओं के अनुसार किया जाएगा तथा इसे 60% सम्बन्धित आर्द्रता पर और भारतीय मानक की उसी विशिष्ट की धारा 11.3 के द्वारा 40° सेन्टीग्रेड तापमान पर सन्तुलित करके निकाला जाएगा।

इसके बाद, उपर्युक्त (i) या (ii) के अनुसार निर्धारित सकल कैलोरी मान को निम्नलिखित सारणी में दर्शित राख के विभिन्न प्रतिशत के लिए कम कर दिया जाएगा ताकि उपयोगी ऊष्मा मान ज्ञात किया जा सके।

राख की विभिन्न प्रतिशत के लिए सकल कैलोरी मान में की जाने वाली कटौती की सारणी

राख % प्रतिशत	किलो कैलोरीज में प्रति किलो ग्राम कटौती	राख % प्रतिशत	किलो कैलोरीज में प्रति किलो ग्राम कटौती	राख % प्रतिशत	किलो कैलोरीज में प्रति किलो ग्राम कटौती
2	20	21	540	40	1370
3	40	22	600	41	1400
4	50	23	660	42	1440
5	65	24	720	43	1470
6	80	25	790	44	1500
7	90	26	860	45	1540
8	105	27	930	46	1575
9	120	28	960	47	1610
10	145	29	990	48	1650
11	170	30	1030	49	1680
12	200	31	1060	50	1710;
13	220	32	1090		
14	240	33	1130		
15	260	34	1165		
16	300	35	1200		
17	340	36	1240		
18	380	37	1270		
19	430	38	1300		
20	480	39	1340		

(ख) पैरा 2 में,

- (i) शब्द “रेल पर्यन्त निशुल्क मूल्यों” के स्थान पर “रेल पर्यन्त निशुल्क खान मुहाना सार्जिंग मूल्य” शब्द रखे जायेंगे।
- (ii) शब्द “किए गए हैं” के स्थान पर “किए गए हैं अथवा किए जाते हैं” शब्द रखे जायेंगे।

(ग) पैरा 3 में शब्द "उत्पादन शुल्क" के स्थान पर "उत्पादन सम्बन्धी शुल्क" शब्द रखे जायेंगे ;

(घ) पैरा 4 में —

(i) शब्द "उत्पादन शुल्क" के बदले, दोनों ही स्थानों में जहाँ ने आते हैं, "उत्पादन सम्बन्धी शुल्क" शब्द रखे जायेंगे ।

(ii) "पहली अगस्त, 1975 के बाद" शब्द और अंकों के स्थान पर "पहली अगस्त, 1975 को या से" शब्द और अंक रखे जायेंगे

(ङ) पैरा 4 के बाद निम्नलिखित पैरा जोड़े जायेंगे, अर्थात् :—

- "5. सन्देशों को दूर करने के लिए एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि इस अधिसूचना में उल्लिखित विभिन्न कोयला ग्रेडों के मूल्य निर्धारण हेतु केवल उन्हीं ग्रेडों का शामिल किया जाएगा जिनका इस अधिसूचना में वर्गीकरण किया गया है ।
6. इस अधिसूचना में प्रकाशित कोयला मूल्य निर्यात के लिए बेचे गए कोयले और कोक पर लागू नहीं होंगे ।
7. इस अधिसूचना में प्रकाशित कोयला मूल्य भारतीय मानक विशिष्ट संख्या भा० मा० 770-1964 में निर्दिष्ट बिटूमनी कोयला तथा उप-बिटूमनी कोयला पर लागू होगा किन्तु ऐंथ्रोसाइटिक और लिग्नाइटिक कोयले पर लागू नहीं होगा ।
8. विशिष्ट आकार वाले या परिष्कृत कोयले पर, अधिसूचित मूल्य के अलावा, यह प्रभार भी लिया जाएगा जो खरीदार और उत्पादक के बीच तय हो ।
9. "अधिक गीला कोयला" वह कोयला है जिनमें भारत में मानक विशिष्ट संख्या भा० मा० 1350-1959 की धारा 6.7 के अनुसार नियत नमूना तत्व 2 प्रतिशत से अधिक होता है । अन्य सभी प्रकार का कोयला कम "गीला कोयला" होता है ।
10. सारणी 3 में हार्ड कोक के लिए अधिसूचित मूल्य छोटे आकार के कोक या 12 मिली मीटर से कम आकार के कोक-चूरे पर लागू नहीं होंगे ।

[सं० 28012/18/74-सी० डी. ट.]

शरण बिहारी लाल, मयुक्त सचिव ।

